प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन में दो भाग हैं।

इस प्रतिवेदन का ***अध्याय-I*** सरकार के राजस्व क्षेत्र के विभागों की लेखापरीक्षा से संबंधित है। प्राप्तियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत की जाती है। प्रतिवेदन का यह भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ताकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के समक्ष रखा जा सके।

इस प्रतिवेदन का ***अध्याय-II*** सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभागों की लेखापरीक्षा से संबंधित है। प्रतिवेदन का यह भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ताकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के समक्ष रखा जा सके।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 2021-22 के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए और साथ ही वे जो पहले के वर्षों में देखे गए थे, परंतु पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके। जहां भी आवश्यक हुआ, 2021-22 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।

यह लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।